

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एल-1770/2013)/ अलेसे-III/ 879

दिनांक :- 05/08/2022

आदेश संख्या:- 6/2 /2022-23

शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(2)साप्र/5/2019 दिनांक 16.09.2019 के आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रबंधक, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली को निदेशालय के आदेश संख्या 474/2019-20 दिनांक 17.09.2019 को राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था।

श्री लोकेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गुणावगुण आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह को जांच लम्बित रखते हुए निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा इनका पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, भरतपुर में किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय जांच के अध्यक्षीन रहेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एल-1770/2013)/ अलेसे-III/ 879

दिनांक :- 05/08/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 4 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, भरतपुर।
- 5 प्रबंधक, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टि करने हेतु।
- 7 श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, भरतपुर को पालनार्थ।
- 8 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 9 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)